न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 32/2020
CCMS NO. : 2020/00102

–:: वादीगण :– बनाम –:: प्रतिवादीगण :–

वादीगण

1. तुलछाराम पुत्र लालाजी
2. छगालाराम पुत्र लालाजी
3. पाबूराम पुत्र लालाजी
4. धनीदेवी पत्नी मदनलाल
5. शोभा पुत्री मदनलाल
6. बाजू पुत्री मदनलाल
7. रेखा पुत्री मदनलाल
8. संतोष पुत्री मदनलाल
9. सरोज पुत्री मदनलाल
10. धापू पुत्री मदनलाल
11. मोनिका पुत्री मदनलाल
12. सरुप पुत्र मदनलाल
    वादीगण संख्या 08 से 12 नाबालिग जरिये कुदरती वलीया माता धनीदेवी पत्नी मदनलाल
13. फूलीदेवी पुत्री लालाजी
14. बादरराम पुत्र मंगलाराम
15. रतनलाल पुत्र मंगलाराम
16. लीलादेवी पुत्री बुधाराम
    सभी जाति– माली, निवासीगण– बलून्दा, तहसील– जैतारण, जिला– पाली, राज०।

प्रतिवादीगण

1. बाबूलाल पुत्र मंगाराम
2. पुखाराम पुत्र मंगाराम
3. दुर्गाराम पुत्र मंगाराम
4. हरदीनराम पुत्र मंगाराम
5. मूलाराम पुत्र खेमाराम
6. चन्द्राराम पुत्र खेमाराम
7. कमला पत्नी जबरूराम
8. सुरेश पुत्र नारायणराम
   सभी जातियान– माली, निवासीगण– बलून्दा, तहसील– जैतारण, जिला– पाली, राज०।
9. तहसीलदार एवं उपपंजियन अधिकारी, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज०।
10. पटवारी, पटवार हल्का– बलून्दा, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज०।

राजस्व वाद बाबत् तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:-29.06.2020

उपस्थितः– 1. श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री तुलसाराम माली, श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता,प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 20/07/2022

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम बलून्दा पटवार हल्का बलून्दा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आ० कालू तहसील जैतारण जिला पाली राज० मे वादीगण एवं प्रतिवादीगण की अविभाजित सामलाती खातेदारी क काश्त की कृषि भमि खसरा नम्बर 687 रकबा 04 बीघा 13 बिस्वा किस्म चाही चारम व खसरा नम्बर 690 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा किस्म चाही चारम की [illegible] है तथा राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण [illegible] काश्त करते चले आ रहे है। जिसकी वर्तमान जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस प्रमाणित प्रति वाद[illegible] के साथ संलग्न है जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग म[illegible] जावे। उपरोक्त [illegible] भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सामलाती कृषि भूमि है। जिसका बाई मिटस् एण्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:33:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जिला- पाली

बाउण्डस् के कानूनी बंटवाडा नही हो रखा है तथा उपरोक्त कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर शांतिपूर्ण तरीके से काश्त व काश्त मुतालिक तमाम कार्य करते आ रहे है, परन्तु उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड मे सामलाती दर्ज होने से आये दिन प्रतिवादीगण वादीगण के साथ उक्त कृषि भूमि की सीमा को लेकर विवाद करते रहते है एवं वादीगण की बन्दक/मेडबन्दी को तोडफोडकर देते है एवं वादीगण को हर समय उनके हक हिस्से से बेदखल करने पर आमादा रहते है। जबकि पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हक हिस्से एवं खातेदारी भूमि पर काबिज है एवं मनागमना काश्त करते चले आ रहे है जिसका नजरी नक्शा इस वादपत्र के साथ पेश है। मौके पर वादीगण एवं बादरराफ अनि तुलछारामप्रतिवादीगण जिस स्वरूप अनुसार काबिज है, उस मौके की स्थिति को नजरी नक्शे में दर्शाया गया है। वादपत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे मे नजरी नवा प्रथम खसरा 687 की भूमि में लाल रंग से दर्शाये गये भू भाग पर वादीगण एवं आसमानी रंग के भू भाग पर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 राजस्व तथा हरे रंग के भू भाग पर प्रतिवादीगण संख्या 7 व 8 माफिक रेकर्ड अनुसार अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज है व कारण करते चले आ रहे है। इसी प्रकार नजरी नक्शे मे नजरी नक्शा द्वितीय खसरा नम्बर 690 की भूमि मे लाल रंग से दर्शाये गये भू भाग पर वादीगणा काबिज है व आसमानी रंग के भू भाग पर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 तथा 4 से 6 एवं हरे रंग के भू भाग पर प्रतिवादीगण संख्या 4 बाबूलाल पुत्र मंगाराम जी माफिक राजस्व रेकर्ड अनुसार अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज है एवं काश्त करते चले आ रहे है। उक्त कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की अविभाजित कृषि भूमि होने से वादीगण अपने हक हिस्से व बंट की भूमि मे आधुनिक तरीके से कृषि करने हेतू बैंक से ऋण नहीं ले सकते तथा अपनी कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण नहीं करवा सकता एवं अनेकों प्रकार की राज्य एवं भारत सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से वंचित होना पड रहा है एवं अनेको प्रकार कीं कंठिनाईयो तथा समस्याओ का समना करना पड़ता है इसलिए वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्त संयुक्त सामलाती अविभाजित कृषि भूमि जो मौके पर अपने हक हिस्से बंट अनुसार बंटी हुई है का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के कानूनी बंटवाडा करवाने हेतू दिनांक 10/06/2020 को कहा तो प्रतिवादीगण स्पष्ट रूप इंकार हुए एवं प्रतिवादीगण ने ऐलानिया कथन किया कि उक्त भूमि का बिना कानूनी बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाड़ा बादरराज तुलधाराम ट क्रैज5 34 201 करवाये ही उक्त भूमि का किसी अन्य अजनबी केता को पैचान हस्तान्तरण रहन वसीयत आदि कर देगे एवं वादीगण को उसके कब्जे काश्त से बेदखल कर देगे। यदि प्रतिवादीगण अपने इन नापाक इरादो मे कामयाब हो जाते है एवं वादीगण को उसके हक हिस्से व बंट की भूमि से बेदखल कर देते है तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी एवं वादीगण अपने जायज [illegible]कूको एवं अधिकारो तथा खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि से वंचित हो जा[illegible] तथा अनेको प्रकार की मुकदमेबाजी होगी जिससे विविध प्रकार की पेचीदगियां [illegible]। जिससे वादीगण खर्चे से जेर बार हो जायेगा। इसलिए वादीगण के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह वादपत्र बाबत् बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् जी के समक्ष सादर पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:33:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

उपरोक्त कृषिभूमि का वादीगण खातेदार काश्तकार होने से एवं वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने से वादीगण अपने हक हिस्से व बंट की भूमि का बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा करवाने के अधिकारी है तथा मौके पर वादीगण का अपने हक हिस्से व बंट की भूमि पर माफिक वादपत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा अनुसार कब्जा काश्त होने से एवं दस्तावेजात से प्रथम दृष्टिमा मामला व सुविधा का सन्तुलन भी हर दृष्टिकोण से वादीगण के पक्ष में है यदि प्रतिवादीगण बिना कानूनी बंटवाडा करवाये ही उक्त किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण रहन वसीयत आदि कर देते है एवं वादीगण को उनके हक हिस्से की भूमि से बेदखल कर देते है, काश्त सम्बन्धित तमाम कार्य करने में दखलन्दाजी करते रहते है तो एवं कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग उपभोग करते है एवं पर कच्चा पक्का निर्माण करते है तो वादीगण को असीम हानि होग जिसकी पूर्ति किसी कदर संभव नहीं होगी एवं मल्टीप्लीसिटी अ0फ प्रोसिडिंग्स् बढेगी। इसलिए प्रतिवादीगण द्वारा किये जा रहे गैरकानूनी बादरमम पुलधाराजीकृत्यों को रोके जाने हेतू यह वादपत्र बाबत् बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् के समक्ष पेश है। प्रतिवादीगण संख्या 09 तहसीलदार साहब, जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार है जो बंटवाडे के बाद मे आवश्यक एवं प्रोपर पक्षकार होने से बतौर प्रतिवादीगण पक्षकार बनाया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 10 पटवारी हल्का सरकारी मुलाजिम होने से प्रतिवादी पक्षकार बनाकर यह वादपत्र पेश किया गया है। बिनाय दावा दिनांक 10/06/2020 को वादीगण ने प्रतिवादीगण को बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा करने की कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा मना करने पर एवं बिना बंटवाडा करवाये सामलाती भूमि का किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण करने एवं वादीगण को उसके हक हिस्से व कब्जे से बेदखल करने की ऐलानिया धमकी देने पर बमुकाम बलून्दा तहसील जैतारण जिला पाली राज0 मे उत्पन्न हुआ जो श्रीमान् के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार मे होने से उक्त वादपत्र अन्दर म्याद श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है।

वादीगण का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 06 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ जो सामिल मिसल किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 06 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया, जो सा0मि0 है। प्रतिवादी संख्या 07 से 10 को बार बार आवाजें दिलाई गई, बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहनें से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 01 से 06 ने जवाब दावा में जाहिर किया कि वाद पत्र के पद संख्या 1 में दर्ज कथनों का जवाब है कि संद माँजा बलुन्दा में खसरा नम्बर 087 रकबा 4-13 बीघा, खसरा नम्बर 690 रकबा 1-18 बीघा की भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की राजस्व रेकर्ड की जमाबन्दी में सामलाती खातेदारी में दर्ज है परन्तु सेटलमेन्ट से अर्थात पिछले 66 वर्षो से भी अधिक समय से वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजों के समय से मौके पर बंटी हुई है उसीनुसार मौके पर कब्जा व खेतों के बीच माढें लगी हुई है। खसरा नम्बर 687, 690 की भूमि पर पिछले 66 वर्षो से वादीगण का कब्जा काश्त नहीं है। वाद पत्र के पद संख्या 2 में दर्ज कथन गलत, झूठे है जो उत्तरदाता प्रतिवादी नामजूर करते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:33:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

वाद पत्र में वर्णित भूमि का बंटवाड़ा होकर पूर्वजों से पिछले 66 वर्षो से भी अधिक समय से कर रखा है। उसी अनुसार काबिज है, वादीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शेनुसार खसरा नम्बर 687 रकबा 4-13 बीघा, खसरा नम्बर 690 रकबा 1-18 बीघा भूमि के किसी भू माग पर वादीगण का कब्जा काश्त नहीं है जबकि उक्त भूमि में उतरदाता प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शेनुसार काबिज होकर काश्त करते है व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की भूमि को नक्शें में हरें रंग तथा प्रतिवादी संख्या 7 व 8 की भूमि को पिलें रंग से दर्शाया है। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की भूमि खसरा नम्बर 687 में तिली की फसल व खसरा नम्बर 690 की भूमि में ग्वार की फसल बो रखी है। खसरा नम्बर 687 रकबा 4-13 बीघा भूमि बढ़ेर बेस के एवज में वादीगण को खसरा नम्बर 659 रकबा 0-07 बीघा, खसरा नम्बर 660 रकबा 0-02 बीघा व खसरा नम्बर 665 रकबा 3-12 बीघा की भूमि विनियम के तहत वादीगण को दे दी गई है। खसरा नम्बर 659 व 660 की भूमि राजस्व रेकर्ड में 0-09 बीघा है परन्तु मौके पर 2 बीघा है। इन खसरा नम्बर की भूमि में उतरदाता प्रतिवादी का कब्जा काश्त नहीं हैं तथा वर्तमान में वादीगण के हिस्सें में आई भूमि में बाजरी की फसल है। खसरा नम्बर 690 रकबा 1-18 बीघा भूमि पर वादीगण द्वारा बतायें नक्शेनुसार वादीगण का कब्जा काश्त नहीं है, जबकि उतरदाता प्रतिवादी का अपने पूर्वजों के समय से कब्जा काश्त है व था। उक्त कृषि भूमि के खातेदार प्रतिवादी संख्या 3 व खातेदार नाथ व बाबु का हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 में कय किया तथा प्रतिवादी संख्या 12, 14 तथा मुला व चन्द्रा के हिस्सें गोलकीदेवी पत्नि बाबूलाल नें कय कर ली तथा मौके पर उतरदाता प्रतिवादी संख्या 1 व गोलकी देवी की उवार की फसल बोई हुई है, खेत के चारों और खन्दक/तारबन्दी की हुई है व वादीगण का कितना हिस्सा है व कहा है उत्तरदाता प्रतिवादी को जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। खसरा नम्बर 687 व 690 की भूमि के किसी भू-भाग पर वादीगण का कब्जा काश्त नहीं है तो सामलाती खातेदारी की भूमि को लेकर सीमा का विवाद होकर खन्दक/मेड़ को तोड़ना व हक हिस्से से बेदखल करना आदि के कथन गलत/झूठे व मौके की स्थिति से भिन्न अंकित किये है। उतरदाता प्रतिवादी को विनियम के तहत आई भूमि में खाद-बीज मिट्टी डालकर उपजाऊ किया उक्त भूमि वर्तमान में सड़कें के पास व कीमती हो जाने के कारण वादीगण की नियत में खोट आ जानें से बहुत ही देरिना वाद पेश किया हैं। पद संख्या 3 में दर्ज कथनों का जवाब है कि खसरा नम्बर 687 रकबा 4-13 बीघा भूमि का वादीगण द्वारा बतायें नजरी नक्शेनुसार लाल रंग की भूमि पर पिछलें 66 वर्षो से अधिक समय से कब्जा काश्त नहीं है बल्कि उतरदाता प्रतिवादी द्वारा बतायें नजरी नक्शेनुसार प्रतिवादी संख्या 1 से 6 हरे रंग की भूमि व प्रतिवादी संख्या 7 व 8 पिलें रंग की भूमि पर काबिज होकर काश्त करतें है। खसरा नम्बर 687 की भूमि के एवज में विनियम के तहत प्रतिवादी ने खसरा नम्बर 659, 660, 665 की भूमि में से अपने हिस्से की भूमि को वादीगण को दे दी हैं जहाँ पर वादीगण का कब्जा काश्त है। खसरा नम्बर 690 रकबा 1-18

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:38:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

बीघा भूमि पर वादीगण द्वारा बतायें अनुसार लाल रंग की भूमि पर वादीगण का मौके पर कब्जा काश्त नहीं है तथा उतरदाता प्रतिवादी का कब्जा काश्त हैं। जिन्होंने अपने हिस्से की भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 की पत्नि गोलकी देवी को बैचान कर दिया। वर्तमान में गोलकी देवी खातेदार काश्तका होकर मौके पर कब्जा काश्त है व ग्वार की फसल है। जिसें प्रतिवादी द्वारा नजरी नक्शों में केसरीया रंग से दर्शाया है। खसरा नम्बर 690 रकबा 1-18 बीघा भूमि में वादीगण की भूमि कहा हैं। किसनें अतिक्रमण किया है, उत्तरदाता प्रतिवादी को जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वादपत्र के पद संख्या 4 में दर्ज कथन गलत व झूठे होने से उतरदाता प्रतिवादी नामंजूर करते है। वादपत्र के वर्णित भूमि का पूर्वजों के समय से मौके पर बंटवाड़ा होकर उतरदाता प्रतिवादी का कब्जा काश्त है अन्य कथन गलत है। बाद में वर्णित भूमि पर जब वादीगण बाबूलाल माली का कब्जा काश्त ही नहीं है तो बैंक से ऋण लेनें का प्रश्न पैदा ही नहीं होता है। वादीगण ने दिनांक 10.06.2020 को प्रतिवादीगण को बंटवाड़ा करनें हेतु नहीं कहा वादीगण ने प्रतिवादी के लिए उक्त भूमि को बैचान हस्तान्तरण वसीयत रहन आदि कथन किये, जो भी गलत झूठे है। खसरा नम्बर 687, 690 के किसी भू भाग पर वादीगण का कब्जा काश्त ही नहीं तो हक हिस्से की भूमि होकर बेदखल करनें का कथन भी गलत व मनमाना है। वादीगण उक्त खसरा नम्बर की भूमि में जितना हिस्सा बनता है। उसके एवज/विनियम से खसरा नम्बर 659, 660, 665 की भूमि दे दी है। जहां पर वादीगण का कब्जा काश्त है तो उनके हक अधिकार खातेदारी से वंचित होनें का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, न ही उन्हें असीम हानि हो रही हैं। वादीगण उतरदाता प्रतिवादी के जवाबदावा में दर्ज कथनोंनुसार बंटवाड़ा करवाना चाहता है तो उत्तरदाता प्रतिवादी तैयार है। इसलिय वादीगण प्रतिवादी के विरूद्ध बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष पानें के अधिकारी नहीं है। वादपत्र के पद संख्या 5 में दर्ज कथनों का जवाब है कि वादपत्र में वर्णित भूमि का बंटवाड़ा करवानें का अधिकारी नहीं है। वादीगण अपने द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शें में बताई भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है, तो वादीगण के पक्ष में न तो प्रथम दृष्टिया मामला व न ही सुविधा का सन्तुलन पक्ष में है। तो उत्तरदाता प्रतिवादी के अपनें द्वारा कब्जे काश्त की भूमि में अपनी इच्छानुसार उपयोग उपभोग व काम में लेनें तथा बैचान हस्तान्तरण करनें का पूर्ण अधिकार है। वाद में वर्णित भूमि से वादीगण पिछले 66 वर्षो से आउट ऑफ पजेंशन है तो उन्हें असीम हानि होनें का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। वादीगण उक्त भूमि में बंटवाड़ा करवाने के अधिकारी नहीं है। इसलिये वादीगण अधिकारी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करनें के अधिकारी नही है। पद संख्या 07 में दर्ज कथनों का जवाब है कि दिनांक 10.06.2020 को वादीगण को उत्तरदाता प्रतिवादी के विरूद्ध कोई वाद कारण वाद पैदा नहीं होता है। मात्र वाद करने की गरज से गलत वाद कारण दर्शाया है। उभयपक्ष के अधिवक्ता ने अपनी अपनी सहमति प्रदान करते हुये उक्त वाद में बाई मिट्स एण्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:33:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

बाउण्डस के बंटवाडा करनें का निवेदन किया है, तथा आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान् की सुनी गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र, शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात, जवाब दावा, तस्दीक राजीनामा इत्यादि का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। जमाबन्दी सरहद मौजा ग्राम बलून्दा पटवार हल्का बलून्दा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आ0 कालू तहसील जैतारण जिला पाली राज0 सम्वत् 2073-2076 का अवलोकन किया गया। जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण बरूबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है, खसरा नम्बर 687 रकबा 04 बीघा 13 बिस्वा किस्म चाही चारम व खसरा नम्बर 690 रकंबा 1 बीघा 18 बिस्वा किस्म चाही चारम में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हक-हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि कि राजस्व मौजा जैतारण पटवार हल्का बलून्दा भू अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र आनन्दपुर कालू तहसील- जैतारण जिला- पाली (राजस्थान) में खसरा नम्बर 687 रकबा 04 बीघा 13 बिस्वा किस्म चाही चारम व खसरा नम्बर 690 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा किस्म चाही चारम भूमि जो राजस्व रेकर्ड में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाँउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी/नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2021/1116 दिनांक 08.12.2021 तथा पत्रांक/कोर्ट/2022/656 दिनांक 28.06.2022 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/22/4282 दिनांक 04/07/2022 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। बहस के दौरान वकील उभयपक्ष ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते है।

-:: आदेश::-

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सामलाती अविभाजित पैतृक पुश्तैनी खातेदारी काश्त की कृषि भूमि राजस्व मौजा बलून्दा पटवार हल्का बलून्दा भू अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र आनन्दपुर कालू तहसील- जैतारण जिला- पाली (राजस्थान) के खसरा नम्बर 687 रकबा 04 बीघा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:33:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

13 बिस्वा किस्म चाही चारम व खसरा नम्बर 690 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा किस्म चाही चारम भूमि . का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैः–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1.	कमला पत्नी जबरूराम 20/31 सुरेश पुत्र नारायणराम 11/31 कौम माली सा.देह खातेदार	687	0.2509	चा. चा.	2.89
2.	चन्द्राराम मूलाराम पि. खेमाराम कौम माली सा. देह खातेदार	687/1	0.1255	चा. चा.	1.45
3.	दुर्गाराम पुखाराम बाबूलाल हरदीनराम पि. मंगाराम कौम माली सा. देह खातेदार	687/2	0.1254	चा. चा.	1.45
4.	गोलकी देवी पत्नी बाबूलाल कौम माली सा. देह खातेदार	690	0.2051	चा. चा.	2.38
5.	बादरराम रतनलाल पि. मंगलाराम 1/2 ढगलाराम तुलछाराम पाबूराम पि. लालाराम धनी पत्नी मदनलाल धापू बालू मोनिका रेखा शोभा संतोष सरोज पुत्रिया मदनलाल सरूप पि. मदनलाल सा.देह लीला पत्नी बुधाराम 1/2 कौम माली सा. रास खातेदार	687/3	0.2509	चा. चा.	4.08
		690/1	0.1025	चा. चा.	-
	कुल खसरा संख्या	2	0.3534	चा. चा.	4.08

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण जिला-पाली

निर्णय आज दिनॉक 20/07/2022को सर–ए–इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर जैतारण (जिला-पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:33:24 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण

बईजलास :– डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०

–:: वादीगण :–	बनाम	–:: प्रतिवादीगण :–
1. तुलछाराम पुत्र लालाजी 2. ढगलाराम पुत्र लालाजी 3. पाबूराम पुत्र लालाजी 4. धनीदेवी पत्नी मदनलाल 5. शोभा पुत्री मदनलाल 6. बाजू पुत्री मदनलाल 7. रेखा पुत्री मदनलाल 8. संतोष पुत्री मदनलाल 9. सरोज पुत्री मदनलाल 10. धापू पुत्री मदनलाल 11. मोनिका पुत्री मदनलाल 12. सरुप पुत्र मदनलाल वादीगण संख्या 08 से 12 नाबालिग जरिये कुदरती वलीया माता धनीदेवी पत्नी मदनलाल 13. फूलीदेवी पुत्री लालाजी 14. बादरराम पुत्र मंगलाराम 15. रतनलाल पुत्र मंगलाराम 16. लीलादेवी पुत्री बुधाराम सभी जाति– माली, निवासीगण– बलून्दा, तहसील– जैतारण, जिला– पाली, राज0।		1. बाबूलाल पुत्र मंगाराम 2. पुखाराम पुत्र मंगाराम 3. दुर्गाराम पुत्र मंगाराम 4. हरदीनराम पुत्र मंगाराम 5. मूलाराम पुत्र खेमाराम 6. चन्द्राराम पुत्र खेमाराम 7. कमला पत्नी जबरूराम 8. सुरेश पुत्र नारायणराम सभी जातियान– माली, निवासीगण– बलून्दा, तहसील– जैतारण, जिला– पाली, राज0। 9. तहसीलदार एवं उपपंजियन अधिकारी, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0। 10. पटवारी, पटवार हल्का– बलून्दा, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0।

<u>राजस्व वाद बाबत् बंट्वाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u> — मु0न0 :रा0वा0 स0: 32/2020

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व हाजरी श्री शाकीर हुसैन, अधिवक्ता, वादीगण, मिनजानिब मुद्दई तथा श्री ओमप्रकाश पंचारिया एवं तुलछाराम माली, अधिवक्ता प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सामलाती अविभाजित पैतृक पुश्तैनी कब्जे काश्त की कृषि भूमि राजस्व मौजा बलून्दा पटवार हल्का बलून्दा भू अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र आनन्दपुर कालू तहसील– जैतारण जिला– पाली (राजस्थान) के खसरा नम्बर 687 रकबा 04 बीघा 13 बिस्वा किस्म चाही चारम व खसरा नम्बर 690 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा किस्म चाही चारम भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं:–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1.	कमला पत्नी जबरूराम 20/31 सुरेश पुत्र नारायणराम 11/31 कौम माली सा. देह खातेदार	[illegible]	0.2509	चा. चा.	2.89
2.	चन्द्राराम मूलाराम पि. खेमाराम कौम माली सा. देह खातेदार	687/1	0.1255	चा. चा.	1.45

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:33:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

3.	दुर्गाराम पुखाराम बाबूलाल हरदीनराम पि. मंगाराम कौम माली सा. देह खातेदार	687/2	0.1254	चा. चा.	1.45
4.	गोलकी देवी पत्नी बाबूलाल कौम माली सा. देह खातेदार	690	0.2051	चा. चा.	2.38
5.	बादरराम रतनलाल पि. मंगलाराम 1/2 ढगलाराम तुलछाराम पाबूराम पि. लालाराम धनी पत्नी मदनलाल धापू बालू मोनिका रेखा शोभा संतोष सरोज पुत्रिया मदनलाल सरुप पि. मदनलाल सा.देह लीला पत्नी बुधाराम 1/2 कौम माली सा. रास खातेदार	687/3	0.2509	चा. चा.	4.08
		690/1	0.1025	चा. चा.	-
	कुल खसरा संख्या	2	0.3534	चा. चा.	4.08

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज.....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 20/07/2022 को जारी किया गया।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण (जिला–पाली)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण, जिला–पाली

मुद्दई	रुपये पैसे	मुद्धायलाह	रुपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	03–00	स्टाम्प वकालतनामा	05–00
स्टाम्प वकालतनामा	10–00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	/	महनताना वकील	/
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	04–00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर	/	बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा		मुत्फरिक	
मिजानः–	17–00	मिजानः–	05–00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:33:24 IST
Reason: SelfAttested